



CA, 15/

माननीय : राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : 12009 निगरानी माल

भागती प्रसाद पुत्र विश्वनाथ जाति ब्राह्मण, निवासी
दबोहा, ग्वालियर रोड, भिण्ड (म०प्र०)

-- जावेदक

विरुद्ध

रामप्रकाश पुत्र श्री विश्वनाथ जाति ब्राह्मण, निवासी
दबोहा, ग्वालियर रोड, भिण्ड (म०प्र०)

-- जनावेदक

R 526-11/07

श्री का. प्र. म. - 28-3-07 को प्रस्तुत।
द्वारा आज दि. 28-3-07 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

28/3/07

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मून-राजस्व संहिता 1948
विरुद्ध निणयि न्यायालय हा० एम०गीता अवर आयुक्त, चम्बल क्षेत्र
संभाग मुरैना (म०प्र०) दिनांक 30 नवम्बर, 2006, जो निरस्त कर
हु न्यायालय अवर कलेक्टर जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक
28/2002-03 जील माल में पारित निणयि दिनांक
10-02-2008 को यथावत रखा गया। न्यायालय अनुविभागीय
अधिकारी, भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 150144-20001सी-1रु
रामप्रकाश विरुद्ध भागती प्रसाद दिनांक 12-6-2003 को बन्दोबस्त
के समय नवीन नक्शा निर्माण करते समय टुटि पाई जाने से
उसमें सुधार करने का आदेश पारित किया था, जिसके विरुद्ध
उक्त प्रथम जील अवर कलेक्टर जिला भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत होने
पर संशोधन हेतु पारित आदेश कोई टुटि नहीं होने से स्थिर
रखा गया, अतः यह निगरानी जावेदक दुःखित होने से सम्पत्ती
में प्रस्तुत है।

माननीय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दोनों पक्षों
का सम्मिलित भूमिखताता ग्राम कीरतपुरा में है। बन्दोबस्त के
कार्यकाल में उभयपक्षों की सहमति से बटवारा करा लिया गया।
बटवारा आठ वर्ष पूर्व किया था। जनावेदक ने बन्दोबस्त के समय

